संख्या-03/2022(833/22)3/3/35-आ0-2/2021-16

प्रेषक,

डा0 संजीव भारद्वाज
संयुक्त सचिव ।
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
आजमगढ./एटा/फतेहपुर/सहारनपुर ।

राज्य योजना आयोग-2 लखनऊ:दिनांक: 25 अप्रैल,2022

(नियोजन विभाग)

विषय: प्रदेश के चार जनपदों में क्षेत्रीय विकास में सामाजिक निवेश कार्यक्रम(सियाड) योजनान्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, भत्तों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 04 माह(अप्रैल से जुलाई) का लेखानुदान के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के व्यय हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 04 माह(अप्रैल से जूलाई) का लेखानुदान के अन्तर्गत सियाड जनपद-04(आजमगढ, एटा, फतेहपुर, सहारनपुर)को रू-13.87 लाख (रूपये- तेरह लाख सत्तासी हजार मात्र)की स्वीकृति संलग्न परिशिष्ट (क) में उल्लिखित मदवार/जनपदवार फॉट के अनुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी ।

1- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-3451सचिवालय आार्थिकसेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-03-राज्य योजना आयोग के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

2- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिका आधार पर लेखा मिलान कार्यालय महालेखाकार,प्रयागराज, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा जिसका व्यय विवरण प्रतिमाह प्रेषित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29 मार्च 2022 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें है ।

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-03 /2022(/833/22)3/3/35-आ0-2/2021-16, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।

4- वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड प्रयागराज ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त आय व्यय अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञापसंख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 के संबंध में ।

6- अनुभाग अधिकारी लेखा नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग ।

7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1

8- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

9- आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग ।

10- नियोजन अनुभाग-1

11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट- "क"

शासनादेश संख्या- /2022(833/22)3/3/35-आ0-2/2021-16, दिनांक: अप्रैल,2022 का सलग्नक

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 04 माह(अप्रैल से जुलाई) का लेखानुदान सियाड जनपद-04 (आजमगढ, एटा, फतेहपुर, सहारनपुर) आवंटित धनराशि का विवरण नियोजन विभागकी अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्ष "-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-03-राज्य योजना आयोग ।

(धनराशि लाख रूपयें में)

मद सं0	मानद मदें	आजमगढ	एटा	फतेहपुर	सहारनपुर	योग
01	02	03	04	05	06	07
01	वेतन	2.00	3.00	2.00	2.68	9.68
03	मॅहगाई भत्ता	0.68	1.02	0.68	0.91	3.29
06	अन्य भत्ते	0.01	0.02	0.01	0.01	0.05
55	मकान किया भत्ता	0.09	0.15	0.08	0.23	0.55
	कुल योग	2.78	4.19	2.77	3.83	**13.57**

(रूपये- तेरह लाख सत्तावन हजार मात्र)

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।